

न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं०-334 सन् 2024

शंकर सिंह.....वादी।

बनाम

ब्रह्मदेव राय वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक-29.10.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 03.09.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं० 01 ब्रह्मदेव राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 30.04.2025 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं० 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं० 01 ब्रह्मदेव राय नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा-5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा उपसमन अपास्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं० 01 ब्रह्मदेव राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 30.04.2025 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है, जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 03.09.2025 को 500/-रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।

